[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–40 एच०एल०ए०

हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह 13 नवम्बर 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 8 का संशोधन।

2. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 8 में,–

(I) उप–धारा (1) में,–

(i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि जहां धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन प्रकाशित योजना के अनुरूप अंचल में किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए अनुमति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो आवेदक को, उप–धारा (1) के अधीन प्रक्रिया को अपनाए बिना, ऐसी सूचना आनॅलाइन प्रस्तुत करनी होगी, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा अपेक्षित फीस तथा प्रभारों का भी भुगतान करेगा।"।

(II) उप–धारा (2) में,–

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात:–

"परन्तु जहां अनुरूप अंचल के लिए अनुज्ञप्ति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो निदेशक द्वारा आगे कोई जांच करनी अपेक्षित नहीं होगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार द्वारा "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)" सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नियामक ढांचे का सरलीकरण एवं प्रक्रियात्मक विलंब को कम करना है। इस पहल के अंतर्गत 23 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें से 8 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा से संबंधित हैं। इन सुधारों में भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण, डिजिटलीकरण एवं संचालन शामिल है ताकि पारदर्शिता बढ़े और निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ हो।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप यह प्रस्ताव किया गया है कि अधिसूचित विकास योजनाओं में अनुरूप भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन स्व–प्रमाणन (Self-Certification) प्रणाली के अंतर्गत अनुमति दी जाए। यह प्रणाली पात्र आवेदकों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज एवं घोषणा–पत्रों के आधार पर स्वचालित सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति प्रदान करेगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और राज्य में व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि होगी।

इस सुधार को क्रियान्वित करने हेतु हरियाणा अनुसूचित सड़कें एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 में आवश्यक संशोधन करना आवश्यक है ताकि इसे विधिक आधार प्रदान किया जा सके। तदनुसार, संशोधन हेतु एक प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे मंत्रीपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परिवर्तनों को करने के लिए, हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निषेध अधिनियम, 1963 की धारा 8 (1 और 2) में संशोधन आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 से उद्धरण

धारा	उद्धरण
धारा 8 की उप–धारा (1)	हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 8 की उप–धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा– "परन्तु यह और कि जहां धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन प्रकाशित योजना के अनुरूप अंचल में किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए अनुमति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो आवेदक को, उप–धारा (1) के अधीन प्रक्रिया को अपनाए बिना, ऐसी सूचना आनॅलाइन प्रस्तुत करनी होगी, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा अपेक्षित फीस तथा प्रभारों का भी भुगतान करेगा।"
धारा 8 की उप–धारा (2)	हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 8 की उप–धारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा– "परन्तु जहां अनुरूप अंचल के लिए अनुज्ञप्ति स्व–प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो निदेशक द्वारा आगे कोई जांच करनी अपेक्षित नहीं होगी।"

12299–H.V.S.–H.G.P., Pkl.